सीडीआर -II / 8011/06/2017

भारत सरकार

विदेश मंत्रालय (सीपीवी प्रभाग)

पटियाला हाउस एनेक्स,
तिलक मार्ग, नई दिल्ली
दिनांक 8 मई, 2017

सेवा में
सभी पासपोर्ट अधिकारी,
विषय : विदेश मंत्रालय के तहत केंद्रीय पासपोर्ट संगठन में कार्यरत वरिष्ठ पासपोर्ट सहायक, कनिष्ठ पासपोर्ट सहायक और कार्यालय सहायक (मल्टी टास्किंग स्टाफ) ग्रुप "सी" पदों के भर्ती नियम-2017 का निर्धारण।

महोदय/महोदया,
हितधारकों की टिप्पणियाँ आमंत्रित करने हेतु भर्ती नियमों को तैयार/ संशोधित करने संबंधी प्रस्ताव 30 दिनों के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभाग की वेबसाइट पर प्रस्तुत करने संबंधी डीओपीटी के फाइल सं. एबी -14017 / 61/2008-स्थापना(आरआर) दिनांक 13.10.2015 के तहत जारी कार्यालय ज्ञापन पर ध्यान आकर्षित करने का मुझे निदेश हुआ है। अत; उपरोक्त वर्णित भर्ती नियम(आरआर) इस विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किए जा रहें हैं।

2. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, सभी संबंधित जो केंद्रीय पासपोर्ट संगठन, विदेश मंत्रालय के तहत कार्यरत हों या उपरोक्त मसौदा नियमों से किसी भी रूप में जुड़े हुए हों, से अनुरोध है कि वे आदेश जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर इस मामले में अपनी टिप्पणी / राय / सुझाव socpvcadremea .gov. in.पर ई-मेल द्वारा प्रस्तुत करने की कृपा करें।

(मोहम्मद नसीम)
उप पासपोर्ट अधिकारी (पीवीए एवं कैडर)
01't-23381051

संलग्नक- यथोपरि

प्रतिलिपि:

I. पीओ (एक्सएलएम), विदेश मंत्रालय, शास्त्री भवन, को इस अनुरोध के साथ कि भर्ती नियम मसौदा मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाए।
II. प्रधान सलाहकार और प्रमुख तकनीकी, पीएमयू को इस अनुरोध के साथ कि वे भर्ती नियम मसौदा पीएसपी पोर्टल पर अपलोड करें।

भारत का राजपत्र: असाधारण [भाग -।। धारा 3 (i)

भारत सरकार

विदेश मंत्रालय

(कांसुलर, पासपोर्ट और वीजा प्रभाग)

****

मसौदा अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2017

जी.एस.आर - संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में और विदेश मंत्रालय, केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन (ग्रुप सी पद) भर्ती नियम, 2010 के अधिक्रमण में जो ऐसे अधिक्रमण से पहले किए गए कार्यों या हटा दिए गए कार्यों को छोड़कर जहां तक इसका संबंध प्रवर श्रेणी लिपिक(हिन्दी), प्रवर श्रेणी लिपिक, अवर श्रेणी लिपिक और कार्यालय सहायक. विदेश मंत्रालय, केन्द्रीय पासपोर्ट ,गठन (ग्रुप "सी" पद) भर्ती नियम 2010 से हैं, राष्ट्रपति एतद द्वारा केन्द्रीय पासपोर्ट संगठन, विदेश मंत्रालय(सीपीवी प्रभाग) में वरिष्ठ पासपोर्ट सहायक, कनिष्ठ पासपोर्ट सहायक और कार्यालय सहायक (मल्टी टास्किंग स्टाफ) (ग्रुप "सी" पदों) की भर्ती प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम निर्धारित करते हैं:-

1. **लघु शीर्षक और प्रवर्तन -(i) ये नियम विदेश मंत्रालय, केंद्रीय पासपोर्ट संगठन के (ग्रुप "सी" पद) के भर्ती नियम-2017 कहे जाएंगे।**

   (ii) **आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से यह लागू होगा।**
2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में "स्तर" - पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में "स्तर" (पूर्व संशोधित वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान) इस नियम के साथ संलग्नित अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में निर्दिष्ट ब्यौरे के अनुसार होगा।**
3. **भर्ती प्रणाली, आयु सीमा और अन्य योग्यता, आदि - उपर्युक्त पद संबंधी भर्ती विधि, आयु सीमा, योग्यता और अन्य मामले अनुसूची के कॉलम (5) से (14) में निर्दिष्ट ब्यौरे के अनुसार होंगे।**
4. **तैनाती : वरिष्ठ पासपोर्ट सहायक, कनिष्ठ पासपोर्ट सहायक और कार्यालय सहायक (मल्टी टास्किंग स्टाफ) (ग्रुप "सी") पद पर नियुक्त व्यक्ति को भारत के किसी भी स्थान पर तैनात किया जा सकता है।**
5. **अयोग्यता - ऐसा कोई व्यक्ति उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा जो-**

   (क) **किसी ऐसे शादीशुदा इन्सान से विवाह या विवाह का अनुबंध करता है/करती है जिसका पति/पत्नी जीवित है, या**

   (ख) **पति/पत्नी के जीवित रहते किसी भी व्यक्ति से विवाह या विवाह का अनुबंध करता है/करती है।**

   बशर्ते केन्द्र सरकार, यदि संतुष्ट हो कि यह विवाह उस व्यक्ति और दूसरे पक्ष के लिए लागू व्यक्तिगत कानून के तहत स्वीकार्य है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार भी हैं, ऐसे व्यक्ति के मामले में इस नियम के परिचालन में छूट दी जाएगी।

6. **छूट देने का अधिकार- जबकि केंद्र सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, कारणों का रिकार्ड लिखित में रखकर और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश जारी कर किसी भी श्रेणी या वर्ग के व्यक्ति को इन नियमों के किसी भी प्रावधान में छूट दी जा सकती है।**

7. **संचयन - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, पूर्व सैनिकों और अन्य विशेष श्रेणियों के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार प्रदान किए जाने वाले आवश्यक आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायत आदि इन नियमों से प्रभावित नहीं होंगे।**

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में "स्तर"	चयनित पद है या गैर-चयनित पद	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन नियम,1 9 72) के नियम 30 के तहत सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	सीधे भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं क्या पदोन्नतिके मामले में लागू होंगी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
वरिष्ठ पासपोर्ट सहायक	628* (2010) कार्य-अधिकता के आधार पर भिन्नता के अधीन	सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप 'सी' अराजपत्रित अनुसचिवीय	स्तर-4	चयनित	नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की विधि सीधी भर्ती के जरिए होगी या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ समावेशन के माध्यम से और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ समावेशन के माध्यम से भर्ती के मामले में, जिस ग्रेड से पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति / समावेशन किया जाना है	यदि एक विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, इसकी रचना क्या है	परिस्थितियां जिसमें भर्ती हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
10	11	12	13	14
शून्य	75 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा, 25 प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा	पदोन्नति: नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद दिए गए ग्रेड में आठ वर्ष की सेवा के साथ पे मैट्रिक्स में स्तर -2 में जूनियर पासपोर्ट सहायक। नोट: अपनी योग्यता या पात्रता सेवा पूरी कर चुके कनिष्ठों की पदोन्नति पर जहां विचार किया जा रहा हो.	पदोन्नति/पुष्टीकरण के लिए ग्रुप 'सी' विभागीय पदोन्नति समिति : (क) निदेशक,कांसुलर, पासपोर्ट और वीजा	

		उनके वरिष्ठों पर भी विचार किया जाए बशर्ते उनकी योग्यता या पात्रता सेवा अपेक्षित योग्यता या पात्रता सेवा से आधे से या 2 वर्षों से अधिक कम न हो, जो भी कम हो और योग्यता या पात्रता सेवा पूरी कर चुके अपने कनिष्ठों के साथ वे अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर चुकें हों। सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा: नियुक्ति के बाद प्रदान किए जाने वाले ग्रेड में नियमित रूप से छः वर्ष की सेवा पूरी कर चुके और मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या इसके समकक्ष स्नातक की डिग्री प्राप्त कनिष्ठ पासपोर्ट सहायक	डिवीजन (पासपोर्ट सेवा परियोजना) - अध्यक्ष (ख) केंद्रीय पासपोर्ट संगठन प्रशासन के एक उप सचिव प्रभारी - सदस्य (ग) दो उप सचिव, विदेश मंत्रालय - सदस्य (घ) केंद्रीय पासपोर्ट संगठन संवर्ग के एक पासपोर्ट अधिकारी या उप पासपोर्ट अधिकारी - सदस्य	

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में "स्तर"	चयनित पद है या गैर-चयनित पद	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन नियम, 1 9 72) के नियम 30 के तहत सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	सीधे भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं क्या पदोन्नति के मामले में लागू होंगी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
कनिष्ठ पासपोर्ट सहायक	648* (2010) कार्य-	सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप 'सी'	स्तर-2	चयनित	लागू नहीं	18 से 27 वर्ष (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के	1 मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12 वीं कक्षा या उसके	लागू नहीं

	अधिकता के आधार पर भिन्नता के अधीन	अराजपत्रित अनुसचिवीय				अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 40 वर्ष की आयु-सीमा तक की छूट) नोट : आयु सीमा तय करने की निर्णायक तिथि वही होगी जैसा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा तय किया जाएगा।	समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण; 2.कम्प्यूटर पर टंकण की गति- अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में 30 शब्द प्रतिमिनट (10500 केडीपीएच / 9000 केडीडीएचएच के साथ प्रत्येक शब्द के लिए 5 प्रमुख डिप्रेशन की औसत के आधार पर)	

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की विधि सीधी भर्ती के जरिए होगी या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ समावेशन के माध्यम से और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ समावेशन के माध्यम से भर्ती के मामले में, जिस ग्रेड से पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति / समावेशन किया जाना है	यदि एक विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, इसकी रचना क्या है	परिस्थितियां जिसमें भर्ती हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
10	11	12	13	14
सीधी ऊर्ती पर दो साल	85 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा 10 प्रतिशत सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा 5 प्रतिशत वरिष्ठता-सह-फिटनेस द्वारा	10 प्रतिशक रिक्तियां सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से ऐसे उम्मीदवारों से भरी जाएंगी जो मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12 वीं कक्षा या उसके समतुल्य परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ हो और पे मैट्रिक्स में लेवल -2 में तीन साल की नियमित सेवा पूरी कर चुका हो। परीक्षा हेतु पात्रता की अधिकतम आयु सीमा पैंतालीस वर्ष (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	पदोन्नति/पुष्टीकरण के लिए ग्रुप "सी" विभागीय पदोन्नति समिति क निदेशक, पीएसपी प्रभाग- अध्यक्ष ख केंद्रीय पासपोर्ट संगठन प्रशासन के एक उप सचिव प्रभारी - सदस्य	लागू नहीं

		के लिए पचास वर्ष की आयु)	ग दो उप सचिव, विदेश मंत्रालय - सदस्य घ केंद्रीय पासपोर्ट संगठन संवर्ग के एक पासपोर्ट अधिकारी या उप पासपोर्ट अधिकारी -सदस्य	

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में "स्तर"	चयनित पद है या गैर-चयनित पद	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन नियम,1 9 72) के नियम 30 के तहत सेवा के जोड़े गए वर्षों का लाभ स्वीकार्य है	सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक और अन्य योग्यताएं	सीधे भर्ती के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यताएं क्या पदोन्नतिके मामले में लागू होंगी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
कार्यालय सहायक	148* (2010) कार्य-अधिकता के आधार पर भिन्नता के अधीन	सामान्य केन्द्रीय सेवा ग्रुप 'सी' अराजपत्रित अनुसचिवीय	स्तर-1	लागू नहीं	लागू नहीं	18 से 25 वर्ष नोट : कर्मचारी तयन आयोग द्वारा दी गयी सलाह के अनुसार आयु सीमा के लिए निर्णायक तिथि तय की जाएगी।	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण	लागू नहीं

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की विधि सीधी भर्ती के जरिए होगी या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ समावेशन के माध्यम से और विभिन्न तरीकों से भरी जाने वाली रिक्तियों का	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति/ समावेशन के माध्यम से भर्ती के मामले में, जिस ग्रेड से पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति / समावेशन किया जाना है	यदि एक विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद है, इसकी रचना क्या है	परिस्थितियां जिसमें भर्ती हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है

	प्रतिशत			
10	11	12	13	14
दो साल	सीधी भर्ती के द्‌वारा	लागू नहीं	पदोन्नति/पुष्टीकरण के लिए ग्रुप 'सी' विभागीय पदोन्नति समिति क. केंद्रीय पासपोर्ट संगठन प्रशासन के सीपीवी प्रभाग में निदेशक (पीएसपी) प्रभारी-अध्यक्ष ख. केंद्रीय पासपोर्ट संगठन प्रशासन के एक उप सचिव प्रभारी - सदस्य ग. दो उप सचिव, विदेश मंत्रालय - सदस्य घ. केंद्रीय पासपोर्ट संगठन संवर्ग के एक पासपोर्ट अधिकारी या उप पासपोर्ट अधिकारी -सदस्य	लागू नहीं